तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व अहकाम हुक्म की जाब्ता
	वकील उभय पक्ष की बहस सुनने के पश्चात हमने पत्रावली का एवं प्रस्तुत हुए जवाब का एवं राजस्व रेकार्ड का गहनता से अवलोकन किया गया। अवलोकन परीक्षण उपरान्त पाया गया कि प्रार्थीगण का प्रथम दृष्टया मामला होकर सुविधा का सन्तुलन व अपूरणीय क्षति प्रार्थीगण को होने से विपक्षीगण को अस्थायी निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जाना आवश्यक एवं न्यायसंगत है अन्यथा प्रार्थीगण को अपूरणीय क्षति होगी। इसलिए विपक्षीगण को अस्थायी निषेधाज्ञा आदेश से पाबन्द किया जाता है कि मौजा गुमानपुरा, जोयला के खाता संख्या 74, 76, 79, 130 में वर्णित आराजीयात में प्रार्थीया क्रमांक एक नन्दुबाई का 1/24 व प्रार्थीया क्रमांक-2 का सूखी बाई का 1/24 हिस्सा, व विपक्षी क्रमांक एक सोसर बाई का 1/24 काला का 1/24 एक हिस्सा का अधिकार मूल वाद में तय होगा। तथा खाता संख्या 131 में प्रार्थीया क्रमांक नन्दुबाई का 1/48 एक हिस्सा, व प्रार्थीया क्रमांक दो सूखी बाई का 1/48 एक हिस्सा विपक्षी क्रमांक एक सोसर का 1/48 एक हिस्सा विपक्षी क्रमांक 3 कालु का 1/48 हिस्सा बनता है। खाता संख्या 201, 202, 203 में प्रार्थीया क्रमांक एक नन्दुबाई का 1/96 एक हिस्सा प्रार्थीया क्रमांक 2 सूखी बाई का 1/96 एक हिस्सा व विपक्षीया क्रमांक एक सोसरबाई का 1/96 एक हिस्सा व कालु का 1/96 एक हिस्सा की घोषणा के अधिकार मूलवाद में तय होगें। इसलिए विपक्षीगण मूलवाद के निस्तारण होने तक उपरोक्त खातों में वर्णित आराजीयात की मौका एवं राजस्व रेकार्ड की यथास्थिति [illegible] तथा प्रार्थीगण के [illegible] प्रकार की कोई दखल अंदाजी नहीं। जिसमें खुले न्यायालय में सुनाया गया पंगावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कमाई	नम्बर व अहकाम हुक्म की जाब्ता

Signature Not Verified
Digitally signed by Ishwar Lal Khatik
Date: 2021.11.05 14:05:50 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
डूंगला

Reader [illegible] 06.10.2021

सेवामें,

श्री मान् उपखण्ड
न्यायालय

1. श्रीमती नन्दूबाई पुत्री क
उम्र वयस्क निवासी गुमान
बडीसादडी जिला चित्तौड
2. श्रीमती सुखीबाई पुत्री
गाडरी उम्र वयस्क निवासी
तहसील बडीसादडी जिला

बनाम

1. श्रीमती सोसर पुत्री
उम्र वयस्क निवासी गुम
बडीसादडी जिला चित
2. श्रीमती भग्गीबाई प
निवासी गुमानपुरा तहस
3. श्री कालू जी पि
निवासी गुमानपुरा तह
4. श्रीमान तहसील
चित्तौडगढ राज0

प्रार्थनापत्र अन्
व

मा0 महोदय,

उपरोक्त प्रार्थ
प्रस्तुत है।

1. यह कि प्रार्थ
ठोस तथ्यो पर
निश्चित ही प्रार्थ
अन्तिम निस्तारण

2. यह कि प्र
तीन व उसके

Scanned with OKEN Scanner